

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी-आव्हान निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या
409/2022

दायर दिनांक
01.11.2022
उनवान


निर्णय दिनांक
26.02.2024

1. श्री भंवर लाल आत्मज श्री अम्बालाल उपाध्याय जाति ब्राह्मण उम्र वयस्क निवासी देवली रोड़, पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी

बनाम

1. श्री बरदु लाल पुत्र लालु लाल तेली जाति तेली उम्र वयस्क निवासी बाईपास, पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. श्री श्यामलाल तेली पुत्र श्री बालुराम तेली जाति तेली उम्र वयस्क निवासी बाईपास, पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. श्री छोटुलाल पुत्र श्री बालुराम तेली जाति तेली उम्र वयस्क निवासी बाईपास, पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
4. श्री लादु लाल आचार्य पुत्र श्री सोहन लाल जाति ब्राह्मण उम्र वयस्क निवासी अमृत चौक, पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
5. श्री भंवरलाल पुत्र श्री बंशीलाल तिवाड़ी उम्र वयस्क निवासी रावणिया, बडला रोड़, पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
6. श्री गोवर्धन पुत्र श्री बंशीलाल तिवाड़ी जाति ब्राह्मण उम्र वयस्क निवासी रावणिया, बडला रोड़ पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
7. श्री घनश्याम पुत्र श्री बंशीलाल जोशी जाति ब्राह्मण उम्र वयस्क निवासी सिनियर सैकेण्डरी बालिका स्कुल के पास, पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
8. श्री नारायण पुत्र श्री श्रवण तेली जाति तेली उम्र वयस्क निवासी ग्यारस माता मंदिर के पास, पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
9. श्रीमती चन्दा पुत्री श्री बंशीलाल तिवाड़ी जाति ब्राह्मण उम्र वयस्क निवासी रावणिया, बडला रोड़ पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
10. श्रीमती बरदी बाई पत्नी श्री बंशीलाल तिवाड़ी जाति ब्राह्मण उम्र वयस्क निवासी रावणिया, बडला रोड़ पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
11. श्री बालकृष्ण पुत्र श्री बंशीलाल तिवाड़ी जाति ब्राह्मण उम्र वयस्क निवासी रावणिया, बडला रोड़ पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
12. श्री भंवर लाल पुत्र श्री बंशीलाल तिवाड़ी जाति ब्राह्मण उम्र वयस्क निवासी रावणिया, बडला रोड़ पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
13. श्रीमती मंजु देवी पुत्री श्री बंशीलाल तिवाड़ी जाति ब्राह्मण उम्र वयस्क निवासी रावणिया, बडला रोड़ पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा



उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

14. श्रीमती संतोष पुत्री श्री बंशीलाल तिवाड़ी जाति ब्राह्मण उम्र वयस्क निवासी रावणिया, बडला रोड़ पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
15. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा

—विपक्षीगण

उपस्थित:—अधिवक्ता प्रार्थी महेश चन्द्र विश्नोई
अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 14 उपस्थित नहीं


—: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम :-

—: निर्णय :-

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा पुर प0ह0 पुर-प्रथम भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा की जमाबन्दी संवत 2069-2073 के खाता संख्या 1614 की अभिलिखित आराजियात 9640/8912 कुल किता 01 कुल रकबा 1.2898 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और अप्रार्थीगण जैर-बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थी खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थी वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 14 उपस्थित नहीं। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।



उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि मौजा पुर प0ह0 पुर-प्रथम भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पुर तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2069-2073 के खाता संख्या 1614 की अभिलिखित आराजियात 9640/8912 कुल किता 01 कुल रकबा 1.2898 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000-00 अक्षरे एक हजार रुपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 26.02.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ)

उपरवण्ड अधिकारी
भीलवाडा